

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2964
गुरुवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

ईएसआईसी चिकित्सा कॉलेज, जोका के मामले

2964 श्री सामिक भट्टाचार्य:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईएसआईसी चिकित्सा कॉलेज, जोका का सभागार लंबित लेखा-परीक्षा मंजूरी के कारण कई वर्षों से अपूर्ण है, ऐसे विलंब के क्या कारण हैं तथा इसे उपयोग में लाना शुरू करने की समय-सीमा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि छात्र पुस्तकालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान अत्यंतित पाठ्यपुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं तथा इस कमी को दूर करने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं;
- (ग) संस्थान में सुपरस्पेशलिस्ट चिकित्सकों की संस्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियां कितनी-कितनी हैं; और
- (घ) क्या ईएसआईसी चिकित्सकों हेतु सवैतनिक अध्ययन अवकाश को तीन वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सभागार, मूल चिकित्सा महाविद्यालय परियोजना का एक हिस्सा है, जो परियोजना के प्रारंभिक चरण के बाद अधूरा रह गया था। तत्पश्चात, सभागार के पूर्ण निर्माण का शेष कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि सभागार का पूरा निर्माण करने की निर्धारित तारीख 21.12.2026 है।

पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद करना एक सतत प्रक्रिया है। छात्र पुस्तकालय के संग्रह में हाल ही में लगभग 820 नई पुस्तकें जोड़ी गई हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) चिकित्सा महाविद्यालय, जोका में सुपर-स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के 27 स्वीकृत पद हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान में सभी 27 पद रिक्त हैं। यद्यपि, व्यापक विशेषज्ञताओं में शिक्षण कार्य का प्रबंधन 61 नियमित और 35 संविदात्मक संकाय सदस्यों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा, सभी ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के प्रमुख को कार्यात्मक अपेक्षाओं के आधार पर संविदा के आधार पर सुपर-स्पेशलिस्ट चिकित्सकों और शिक्षण संकायों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ईएसआईसी चिकित्सकों को अध्ययन के उद्देश्य से अध्ययन छुट्टी और असाधारण छुट्टी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं।
